

संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2025 को 03:00 अपराह्न में अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ द्वारा बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन/जेनरेशन/ट्रान्समिशन, कम्पनी लि० को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

प्रबंधन पक्ष

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 1. श्री धीरेन्द्र कुमार | — | उप सचिव, SBPDCL |
| 2. श्री राजकुमार सिन्हा | — | उप विधि परामर्शी, BSPGCL |
| 3. श्री राजीव कुमार | — | उप महाप्रबंधक, BSPTCL |
| 4. श्री विनोद प्रसाद | — | DGM(P), NFPDCL |
| 5. श्री मुरारी कुमार | — | S.O XV, SBPDCL |

कामगार पक्ष

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. भरत झा | — | महामंत्री, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ। |
| 2. डी०पी० यादव | — | उप महामंत्री, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ। |
| 3. सुधीर चौधरी | — | अपर महामंत्री, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ। |

सर्वप्रथम अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ द्वारा बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन/जेनरेशन/ट्रान्समिशन, कम्पनी लि० को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा परिचय प्राप्त करते हुए स्वागत किया गया। तत्पश्चात् संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा बैठक के एजेन्डा के अनुसार दिनांक 11.02.2025 को अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ द्वारा बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन/जेनरेशन/ट्रान्समिशन, कम्पनी लि० को समर्पित विवादों के आलोक में वार्ता आयोजित की गई। विवाद के बिन्दुओं पर उभय पक्षों की सहमति ली गई। सहमति के उपरांत विवादवार वार्ता की गई।

i) तदेन विद्युत बोर्ड की अवधि से ही कार्यरत तकनीकी संवर्ग के अदक्ष श्रमिक एवं दक्ष श्रमिक को उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार से वंचित रखना— इस संबंध में दोनों पक्षों ने बताया कि दिनांक-10.02.2025 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई है। वार्ता में उनके द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।



ii) लिपिकीय संवर्ग से अवनत कामगारों के समायोजन में आपके कार्यालय की दुर्भावनाग्रस्त मानसिकता के कारण न्याय नहीं मिलना— इसके संबंध में दिनांक-10.02.2025 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से हुई वार्ता में समस्या के समाधान हेतु आश्वासन दिया गया है।

iii) विद्युत आपूर्ति की सुव्यवस्था के रीढ़ मानवबल विद्युत कर्मों की उपेक्षा— इस संबंध में बताया गया कि दिनांक- 10.02.2025 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से वार्ता हुई है। वार्ता में श्रम संसाधन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-5/एम०डब्ल्यू-40-16/2021 श्रम०सं०-07 एवं 08 के माध्यम से अधिसूचित श्रेणियों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।

iv) आपूर्ति के क्षेत्रों में स्थापित शक्ति उपकेन्द्रों में बटन-पट-चालकों से अकेला कार्य लेने की गलत प्रथा एवं वहां फ्युज कॉल सेन्टर की व्यवस्था से दुर्घटना में इजाफा— इसके संबंध में दिनांक-10.02.2025 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के साथ संपन्न वार्ता में होल्डिंग यार्डस्टीक कमिटी के प्रतिवेदन की समीक्षा करने का निदेश दिया गया है।

v) विद्युत मजदूरों/ पेन्सनरों/ मानवबलों/आउटसोर्सिंग मजदूरों/महिला कामगारों की दर्जनो कानून सम्मत समस्याएं— इसके संबंध में दिनांक-10.02.2025 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा पालनाघर, फिडिंग रूम इत्यादि खोलने हेतु आश्वासन दिया गया है।

vi) विद्युत कर्मियों को बोनस/रात्रि पाली भत्ता एवं अन्य बकाये भुगतान —इसके संबंध में संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि इसके योग्य उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियम के आलोक में भुगतान की जाय। बोनस भुगतान अधिनियम लागू करने के संबंध में प्रबंधन पक्ष को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी को बोनस अधिनियम के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया।

इस संबंध में श्रमिक पक्ष ने श्रम संसाधन विभाग की ओर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को भी पत्र लिखने का अनुरोध किया।

vii) ग्रीड सबस्टेशनों/ विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों में आवास की अनुपलब्धता एवं आवासीय परिसर के दशा में सुधार —इसके संबंध में बताया गया कि 137 पावर सबग्रीड स्टेशनों में आवासीय सुविधा है। प्रबंधन पक्ष ने बताया कि आवासीय सुधार हेतु सभी सिविल प्रमंडल स्तर से पत्राचार किया गया है।



viii) सेवानिवृत्त कामगारों को मुफ्त बिजली उपभोग की सुविधा —इसके संबंध में बताया गया कि बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड ही प्राधिकृत है।

ix) सेवानिवृत्त कामगारों को चिकित्सा सुविधा,

x) स्थायी प्रकृति के कार्य में कार्यरत अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण,

xi) 01.04.2004 के बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन नीति लागू करना,

xii) सेवानिवृत्त कर्मियों के एक आश्रित की नियुक्ति,

xiii) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० लागू करने की तिथि समान करना,

xiv) अनुकम्पा की नियुक्ति (सेवा शर्त) को बिजली बोर्ड में लागू सेवा शर्त की तरह करना।

कंडिका— ix से xiv के संबंध में अनुरोध किया गया कि बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड को भी बुलाया जाय।

उभय पक्ष द्वारा अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक से चल रही वार्ता के आलोक में पुनः दिनांक 05.03.2025 को अपराह्न 03:00 बजे वार्ता करने पर सहमति दी गई। तदनुसार वार्ता की अगली तिथि दिनांक—05.03.2025 को अपराह्न 03:00 बजे निर्धारित की गई है। उभय पक्ष उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई के साथ विवाद वार अपना—अपना पक्ष लेकर वार्ता में भाग लेंगे।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



(विजय कुमार)

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—3/डी—13/2025 श्र०सं०— 858 पटना, दिनांक— 18/02/25

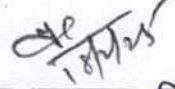
प्रतिलिपि— अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

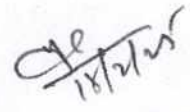
ज्ञापांक-3/डी-13/2025 श्र०सं०- 858 पटना, दिनांक- 18/02/25

प्रतिलिपि- प्रबंधन पक्ष/कामगार पक्ष के सभी प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

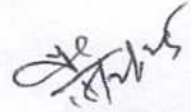
ज्ञापांक-3/डी-13/2025 श्र०सं०- 858 पटना, दिनांक- 18/02/25

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कंडिका संख्या- vi के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-3/डी-13/2025 श्र०सं०- 858 पटना, दिनांक- 18/02/25

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।